संख्या-01/2020/2508 ई-2/तेरह-2019-64/2013

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उ.प्र. प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 01 जनवरी, 2020

विषय:-मेसर्स सिनेमोन किचन (ए यूनिट ऑफ प्रजेन्ट फूड एण्ड वेवरेजेज प्रा.लि.) ए.जी. 7, 8, 9, 42, 43, 44 व 45 आदित्य सिटी सेन्टर वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-88/दो-प्रा.एम.बी.-4/लघु एवं यवासवनी, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र सं.-168/3/आ.लि.-सिनेमोन किचन/माइक्रो ब्रिवरी, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स सिनेमोन किचन (ए यूनिट ऑफ प्रजेन्ट फूड एण्ड वेवरेजेज प्रा.लि.) ए.जी. 7, 8, 9, 42, 43, 44 व 45 आदित्य सिटी सेन्टर वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन देने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**आलोक कुमार द्विवेदी**)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।